

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 FART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 2] No. 2] नई विल्ली, बुधबार, मई 11, 1983/वैशाख 21, 1905

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 1983/VAISAKHA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रक्षा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

केम्ब्रीय होसियोपैथी परिषद्

भ्रधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 1983

सं० 7-1/83-सी०सी०एक०--होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 के खण्ड (ड), (ढ) और (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, होमियां-पैथी केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय मरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1982 है।
 - (2) ये राजपत में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2, परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से भ्रत्याया अपेक्षित न हो :
 - (ক) ''श्रधिनियम'' से होमियोपैयी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) अभिग्रेत हैं;
 - (खा) ''प्रारूप'' से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं,

- (ग) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति
 अभिप्रेत है जिसका नाम होमियापैथी केन्द्रीय परिषद्
 मे तत्समय सम्यक् रूप से राजस्ट्रीकृत है;
- (घ) "रजिस्टर" से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा
 (1) के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा रखा गया हो होमियोपैयी का केन्द्रीय रजिस्टर अभिन्नेत है;
- (ছ.) ''रजिस्ट्रोर'' से अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत-हैं।
- राजिस्टर: रिजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो इन विनियमों से उपायद्ध परिशिष्ट में उपबंधित है।
- 4. रिजस्टर से सीधा रिजस्ट्रीकरणः (1) कोई भी रिजस्ट्री-कृत चिकित्सा व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 23 के अधीन र्राजस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का इच्छुक हैं, रिजस्ट्रार को प्ररूप में आवेदन कर सकेगा और रिजस्ट्रार ऐसे चिकित्सा व्यवसायी का नाम रिजस्टर में दर्ज करने से पूर्व बोर्ड से पूछकर ऐसे व्यवसायी के पूर्ववृक्त को उस दशा में सत्यापित करेगा जब कि ऐसे चिकित्सा व्यवसायी ने उससे पूर्व अपना नाम दर्ज कराया हो।

- (2) प्ररूप "क" में किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न-लिखित भेजे जाएंगे:
 - (i) प्ररूप "क" के पैरा 1 और 2 में वर्णित वस्तावेजें.
 - (ii) होस्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के नाम में क्रास पोस्टल आर्डर या वैंक ज्ञापट द्वारा 25 रुपए की फीस, और
 - (iii) आवेदक की हाल की खिची पासपोर्ट साइज की एक फीटो जिसे किसी राजपत्नित अधिकारी ने या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उस अधिकारी ने जिसकी अधिकारिसा के अधीन आवेदक निवास करता है या किसी मान्यताप्राप्त होमियोपैथी आयुधिकान महा-विद्यालय के प्रधानाचार्य ने या उस राज्य की जिसकी अधिकारिसा के भीतर आवेदक निवास करता है विधान सभा के किसी सदस्य ने या संसद सदस्य ने अनुप्रमाणित किया है।
- 5. अनिश्विन भईताओं का राजस्ट्रीकरण : कोई भी ऐसा राजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो कोई अतिश्वित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता प्राप्त करता है, अतिश्वित अर्हता के राजस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप "ख" में दी हुई विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए राजस्ट्रार को आयेदन कर सकेगा।
- 6. रिजिस्टर में लिखे नामों में परिवर्तन : (1) किसी रिजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम के परिवर्तन की बाबत कोई प्रविष्टि रिजिस्टर में तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदन के साथ निम्नलिखित न हो :
 - (क) नाम के ऐसे पश्चिर्तन के संबंध में राजपत्न में प्रकाशित अधिसूचना या
 - (ख) नाम के ऐसे पश्चितंन के संबंध में शपथपक्ष की, जिसकी पुष्टि और जिसका अधिप्रमाणन किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है, मूल प्रति ।
- (2) रजिस्ट्रार मूल दस्तावेजें, उनकी आवश्यकता न होने पर वापस कर देगा ।
- (3) जब उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी रिजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम में परिवर्तन किया जाता है तब प्ररूप "ग" में रिजिस्ट्रीकरण तदनुसार संशोधित हो जाएगा और यदि वह रिजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐ सा प्रमाणपन्न प्रस्तुत करता है तो रिजिस्ट्रीर अपने हस्ताक्षर से और अपनी मुद्रा लगा कर उस प्रमाणपन्न में सम्यक् रूप से संशोधन करेगा।
- 7. निवास स्थान या व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन के बारे में अधिसूचना : प्रत्येक उस रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का जो अपने निवास या व्यवसाय के अपने पक्षे में परिवर्तन करना है, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परिवर्तन के नश्चे दिन के भीतर केन्द्रीय परिषष् और संबंधित बोर्ड को उसकी सूचना दे दें।
- श. रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्त : होमियोपैथी रिजस्टर में रिजस्ट्री-करण का प्रमाणपत्त प्ररूप "ग" में दिए गए रूप में होगा।
- 9. रजिस्टर का नवीकरण, पुनरीक्षण ग्रीर प्रकाशन: (1) राजपत्न में रजिस्टर के सर्वप्रथम प्रकाशन से प्रस्येक आठ वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार प्ररूप "घ" में एक साधारण सूचना राजपत्न में

- और ऐसे तीन समाचारपत्नों में जो देश में सबसे अधिक पढ़े जाते हैं तथा उन तारीखों को जो केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष के अनुमोवन से रिजस्ट्रार, तय करे प्रकाशित कराएगा जिसमें सभी रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे रिजस्टर में अपने नाम को बनाए रखने के लिए, कोई फीस दिए बिना और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रिजस्टार को आवेदन करें।
- (2) रिजिस्ट्रार उप विनियम (1) के अधीन साधारण सूचना के प्रकाशन के पश्चात् प्रत्येक रिजिस्ट्रिकृत चिकित्सा व्यवसायी को रिजिस्टर में दर्ज उसके पते पर प्रकृप "ड." में अलग अलग सूचनाएं और उसके साथ प्रकृप "च", डाक प्रमाणपत के अधीन भेजेगा और उससे अपेक्षा करेगा कि वह रिजिस्टर में अपने नाम को बनाए रखने के लिए सम्यक् रूप से भरकर प्रकृप "च" में आवेदन, ऐसी अलग अलग सूचना में विणित अविध के भीतर रिजिस्ट्रार को भेजे।
- (3) अलग अलग सृचना में विनिद्दिष्ट अवधि के बीत जाने पर रिजस्ट्रार रिजस्टर से ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यवसायी के जिनसे सम्यक् रूप से भग गया प्ररूप "च" विनिद्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है, नाम काट सकेगा।
- (4) रिजस्ट्रार उन.नामों को जो रिजस्टर से हटा दिए गए हैं राजपक्ष में प्रकाशित करेगा और उसकी प्रतियां नाम के हटाए जाने की तारीख में 90 दिन की अवधि तक केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय के सूचनापट्ट पर संप्रदर्शित की जाएंगी।
- (5) रजिस्ट्रार, रजिस्टर से नाम के हटाए जाने की सूचना ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को जिसका नाम हटाया गया है, रजिस्ट्री डाक से भेजेगा। रिजर्टर से किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम हटाए जाने पर उसका रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपन्न रद्द किया गया समझा जाएगा,

परन्तु ऐसा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसका ताम रिजम्टर से हटा दिया गया है, तत्पश्चात किसी भी समय, होमियो पैयो केन्द्रीय परिषव्, नई दिल्ली, के नाम में कास पोस्टल आर्डर या बैंक ड्रापट द्वारा 25 क्षण की फीस के साथ प्रकृष "च" में आवेदन रिजस्ट्रार को भेज सकेगा और उंसके प्राप्त होने पर रिजस्ट्रार रिजस्टर में उसका नाम पुनःस्थापित कर देगा और रिजस्टर में नाम के ऐसे पुनःस्थापित किए जाने की बात यह समशः जाएगा कि उसका प्रभाव उस रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम रिजस्ट्री-करण प्रमाणपत्न में पुनः स्थापित करना होगा।

- 10. अपील: (i) कोई भी रिजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम होभियोपैथी के राज्य रिजिस्टर से इस आधार से कि उसके पास अपेक्षित चिकित्सीय अहंताएं नहीं हैं, भिन्न किसी आधार पर हटा विया गया है या जहां उक्त चिकित्सा व्यवसायी का होमियोपैथी के राज्य रिजिस्टर में अपना नाम पुनःस्थापित करान के लिए कोई अन्वेदन अस्वीकृत कर दिया गया है वहां वह राज्य रिजिस्टर में अपने नाम की पुनःस्थापना के लिए प्ररूप "च" में केन्द्रीय सरकार से अपील कर सकेगा।
- (ii) प्ररूप "च" में की गई प्रत्येक अपील के साथ होमियो-पैथी केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के नाम में कास पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा 25 रुपए की फीस होनी चाहिए।

पी० एल**० व**र्मी, रजिस्ट्रार

[भाग 11	I—— ভা ড 4]			भारत का र	ाजपन्न : असीघा 	रण 		
			<i></i>		परिशिष्ट (१	गा त 1)			
					[विनियम 3	वेखिए]			
कम सं०		•	जन्म तिथि (ईस्की सन् में)	पताः (क) निवास स्थान कः (ख) व्यवसाय का	अहँताएं: (क) साधारण (ख) आयुर्विकाः संबंधी	अर्ष्टताएं: प्राप्त करने न की तारीखें	उस संस्था का नाम जहां से रजिस्टर किए जाने योग्य अर्हताएं प्राप्त की गई थीं	राज्य जिसमें रिजस्ट्रीकृत है तथा राज्य रिजस्ट्री- करण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण की नारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य रिष् देशः गयाः मंख्याक	तस्टर में रजिस्ट्रीकर	केन्द्रीय र ण में रजिस संख्यांक	ट्रीकरण में	रजिस्ट्रीकरण र तारीख	रितिरिक्स भायुर्विकान ग्या उन्हें प्राप्त क तारीख और अहैंसा करने वाले प्राधिका नाम	रमेकी आ । मंजूर	र्षाक्षर हटाया	नेन्द्रीय रिजस्टर सं गया है तो उसकी ब और उसका / उस	ľ
11		12		13	14		15	16	17
					परिमिष्ट (१	मा ग 2)			
					[विनियम 3	,			
कम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म ति (ईस्की स	न्में) (क)		अर्हताएं (क) साधारण (ख) आयुर्विक संबंधी		हैं औ	जिसमें रजिस्ट्रीक र राज्य रजिस्ट्री मंजूर करने बाल गरी
1	2	3		4	, 5	6	7		8
राण्य रजि रजिस्ट्रीकर तारी ख		राज्य रजिस्टर गया रजिस्ट्रीव सं ड्यांक		न्द्रीय रजिस्टर में जिस्ट्रीकरण संख्यांक		र में रजिस्ट्र की	हर	दे केन्द्रीय रिजस्टर प्रयागया है तो उसके तारीख और उसका/ उसके कारण	†
	9	1	0	11	12		13	14	15
		সক	 पृक	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 परिषद् अधि	नियम, 1973 की	धारा 23 के अधी	 ान की गई अपेक्ष
			4 वेखिए)				मियोपैथी के केन्द्री		
होमि	ायोपै यो वे	`	ŕ	म, 1973 की	धारा	(1) g	रा नाम		
				वेदन का प्ररूप।		(स्पष्टः	अक्षरों में तथाआ	(भ में कुल नाम क	हेसाथ लिखिए
वा में, रक्षि	स्ट्रार,						दि आवेदक विवास सम और कुलनाम		उसका विवाह पू
	_	-द्रीय परिपद ्	,				म से आरंभ करते		में लिखिए)
-	देल्ली।	`				(3) रा	ष्ट्रिकता		
						(1) 6-	enter forest wit to	=trt	

महोदय,

मैं इसके द्वारा अनुरोध करता हूं कि मैरा नाम और अन्य विशिष्टियां जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, होमियोपैथी केन्द्रीय

- (4) निवास स्थान का पता
- (5) स्यवसायिक पता
- (6) जन्म विधि (ईस्यी सन् में)

- (7) (क) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक के पास अर्हताएं।
 - (ख) तारीख जब आयेदक ने अर्हता प्राप्त की।
 - (ग) प्राधिकारी जिसने अर्हताएं प्रदान या मंजूर कीं।
 - (घ) वह स्थान जहां आवेदक ने ऐसी अर्हताओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया और ऐसे प्रशिक्षण की अविध ।
 - (ङ) यदि उसने इससे पूर्व अपना नाम किसी परिषद्/बोर्ड में रिजिस्टर कराया था तो उसका नाम
- 2. में इसके साथ निम्निसखित भेज रहा हं :--
 - (1) अपने जन्म का प्रमाणपत्न/मेट्रिक प्रमाण पत्न/सेकंडरी स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्न/स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्न की मूल प्रति।
 - (2) मेरी जो अर्हताएं हैं उनके संबंध में डिप्लोमा/डिग्री प्रमाणपत की मूल प्रति और उसके साथ उसकी दो अनुप्रमाणित प्रतियो।
- आप जब सत्यापन कर लें उसके पश्चात् कृपया प्रतियां मुझे लौटा दे।
- 4. 25 रुपए (केंबल पच्चीस रुपए) की फीस

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

भवदीय,

आवेदक के हस्साक्षर

तारीख स्थान

प्रस्प ख

[विनियम 3 देखिए]

मतिरिक्स अर्हता के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

रिजस्ट्रार, होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली ।

महोदय,

मैं होमियोपैथि का रिजस्ट्रीकृत व्यवसामी हूं और मेरा रिजस्ट्रीकरण संख्यांक—है। मैंने होमियोपैथी में एक प्रतिरित्त अर्हता प्राप्त की है और मैं उसे होमियोपथी केन्द्रीय परिषद् (रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1981 के विनियम 5 के अधीन रिजस्टर कराना चाहता हूं। मेरी विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:—

- (1) पूरा नाम (कुल नाम से आरम्भ करते हुए स्पष्ट अक्षरों में लिखिए)
 - (2) यदि आयेदक विवाहित स्त्री है तो उसका विवाह पूर्व नाम और कुलनाम (कुलनाम से आरम्भ करते हुए स्पष्ट अक्षरों में लिखिए)
 - (3) राष्ट्रिकता
 - (4) निवास स्थान का पता
 - (5) व्यवसायिक पता
 - (6) जन्म तिथि (ईस्थी सन् में)
 - (7) अतिरिक्त अर्हताएं जिन्हें दर्ज कराना चाहता हूं:
 (क) प्राधिकारी जिसने अतिरिक्त अर्हता प्रदान था
 - क) प्राधिकाराजिसने आतारक्ते अहता प्रदान था मंजूर की है ।
 - (ख) वह तारीख जब अहंता प्रस्त/मंजूर की गई थी।
 - (ग) उस प्रशिक्षण का ब्यौरा जिसके परिणामस्यक्षप
 अतिरिक्त झर्हता प्रदान की गई और उस प्रशि-क्षण की अवधि ।
 - (8) केन्द्रीय रिजस्टर में रिजस्ट्रीकरण का संख्यांक और उसकी तारीख ।
 - (9) राज्य रिजस्टर में रिजस्ट्रीकरण का संख्यांक और उसकी तारीख ।
- II. मैं इसके साथ निम्नलिखित भेज रहा हूं :---
 - (i) अतिरिक्त उपाधी/डिप्लोमा/अन्य अर्हेता (मूल प्रति)
 - (ii) उसकी को अनुप्रमाणित प्रतियां जो होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् (रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1981 के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बारा अनुप्रमाणित की गई हैं।
- (iii) 10 रुपए (केवल दस रुपए) की फीस होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के नाम में क्रांस पोस्टल आर्डंर/बैंक कुएस्ट द्वारा ।

III. आप जब सत्थापन कर लें उसके बाद मूल प्रतियां कृपया मुझे लीटा दें।

भवदीय, आवेषक के हस्ताक्षर

तारीख स्थान

प्रकृष ग

[विनियम 6 (3) और 8 देखिए] रिजस्ट्रीकरण प्रमाणन होसियोपैथी केलीय परिषद्

होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् विष की औषधि विष ही है

प्रमाणपत्र सं०

प्रमाणित किया जाता है कि — को होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) के अधीन भाग — में सम्यक् रूप से रिजस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर होमियोपैयी केन्द्रीय परिषद् की मुद्रा लगा दी गई है और रिजस्ट्रार ने अपने हस्ताक्षर किए हैं।

यह प्रमाणपक्ष तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि चिकित्सा व्यवसायी का नाम होमियोपैयो केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) के उपबन्धों के अनुसार रिजस्टर से हटा नहीं दिया जाता है।

मुत्रा

रिजस्ट्रार के हस्ताक्षर

प्ररूप घ

[विनियम 9 (1) देखिए]

साधारण सूचना

होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन रखें गए होमियोपैथी के केन्द्रीय रिजस्टर के भाग 1 और 2 में अंतर्विष्ट सभी रिजस्ट्रीकृत क्यवसायियों को इसके द्वारा यह साधारण सूचना वी जाती है कि उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् (रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1981 के विनियम 9 (1) में यथा उपबन्धित उक्त रिजस्टर में अपने नाम बनाए रखने के लिए रिजस्ट्रार की झाबेदन करना होगा।

आववन के विहित प्ररूप सहित साधारण सूचनाएं प्रत्येक ऐसे व्यवसायी को, उन्त रिजस्टर में वर्ज उसके पते पर डाक-प्रमाणपत के अधीन भेजी जा रही हैं। रिजस्टर में नाम बनाए रखने के प्ररूप च में आवेदन इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर सभ्यक् रूप से भर कर मुझे लौटा दिया जाना चाहिए। कोई भी रिजस्ट्रीकृत व्यवसायी जिसे डाक द्वारा प्ररूप प्राप्त नहीं हुआ है, रिजस्ट्रार के कार्यालय से उसे प्राप्त कर सकता है।

रजिस्ट्रार

तारीख-----स्थानः नई विल्ली होमियोपैषी केन्द्रीय परिषद्

डाक प्रमाण-पत्न के प्रधीन

प्रकृप इन्

[चिनियम 9 (2) देखिए]

होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्

केन्द्रीय रिजस्टर में अपने नाम बनाए रखने के लिए रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा ब्यवसायियों को सूचना सेवा में,

विषय : रजिस्ट्रीकृत चिकिस्सा व्यवसायियों को केन्द्रीय रजिस्टर में अपने-अपने नाम बनाए रखने के लिए सूचना ।

महोषय,

आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है और भ्रापसे भ्रपेका की जाती है कि भ्राप होमियोपैथी के केन्द्रीय रिजस्टर में भ्रपना नाम बनाए रखने के लिए संलग्न भ्रावेदन-पन्न (प्ररूप च) को सम्यक रूप से भर कर इस सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर रिजस्ट्रार को लौटा दें।

> भवदीय, रजिस्ट्रार फेन्द्रीय होमियौपैयी परिषद

प्रक्रम च

[विनियम 9 (2) और (3) वैखिए] केन्द्रीय रिजस्टर में नाम बनाए रखने के लिए

मावेदन

सेवा में,

रिजस्ट्रार, होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली ।

विषय : रजिस्टर में नाम बनाए रखना। महोदय,

मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय रिजस्टर के भाग '''में मेरा नाम बनाए रखा जाए ।

2. मेरी विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:--

(i) पूरा नाम (कुल-नाम से आरंभ करते हुए स्पष्ट अक्षरों में लिखिए)।

- (ii) अविवाहित स्त्री की दशा में उसका विवाहपूर्व नाम (कृल-नाम से आरंभ करते हुए स्पब्ट अक्षरों में लिखिए)
- (iii) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।
- (iv) वह तारीख जब तक वह नवीकृत है।
- (v) आरंभिक रिजस्ट्रीकरण के समय अर्हता ।
- (vi) पत्न न्यवहार के लिए स्थायी पता ।

3ां. होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के नाम में कास पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राप्ट के रूप में 25 रुपए (केवल पच्चीस रुपए) की पुनः स्थापन फीस संलग्न है।

> भवदीय हस्ताक्षर पूरा नाम

तारीख:

†यदि लाग्न हो तो इसे काट दीजिए।

মক্ষণ ভ

[विनियम 10 देखिए] रिजस्टर में नाम पुनःस्थापित कराने के लिए* आवेदन

सेवा में, सचिव,

भारत सरकार,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय,

नई दिल्ली।

मैं''

(कुल-नाम से आरंभ करके स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम लिखिए) जिसकी अर्हता ''''हैं, सन्य (यहां अर्हता लिखिए)

निष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरे मामले के वे तथ्य† जिनके आधार पर मैं रिजिस्टर में अपना नाम पुनःस्थापित कराना चाहता हूं, निम्नलिखित हैं।

2. मेरा नाम ' ' ' ' ' ' के राज्य रिजस्टर में (राज्य का नाम)

सम्बक् रूप से रिजस्ट्रीकृत किया गया था और मेरा रिजस्ट्री-करण संस्थांक '''' ,तारीख '''' है ।

3. मेरा नाम होमियोपैथी के केन्द्रीय रिजस्टर में ' ' को सम्यक् रूप से रिजिस्ट्रीकृत किया गया था और मेरा रिजस्ट्रीकरण संख्यांक ' ' ' ' है ।

- 4. बोर्ड द्वारा तारीख को की गई जांच में यह निदेश दिया गया था कि मेरा नाम राज्य रिजस्टर से हटा दिया जाए तथा बोर्ड ने जिस अपराध के कारण मेरी नाम हटाए जाने का निदेश दिया था वह ... (यदि आवश्यक हो तो था इसके लिए अलग कागज का प्रयोग करें)
- 5. रिजिस्टर से मेरा नाम हटाए जाने की तारीख से मैं ... में निवास कर रहा हं और मेरी उपजीविका ... रही है।
- 6. अनुरोध है कि '''''''''''''''''' राज्य के रिजिस्टर में मेरा नाम पुनः स्थापित कर दिया जाए ।
 - 7. आवेदन के वर्तमान अधार निम्नलिखिस हैं :--
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)

अनुरोध है कि '''' (राज्य) के राज्य रिजस्टर में मेरा नाम पुनः स्थापित करने के लिए आदेश पारित कर दिए जाएं।

मेरे समक्षाः ' ' ' में

.

न्यायिक/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/

घोषणा की गर्ड

ंशपथ आयुक्त

ां (अनुदेश: जिन तथ्यों और आधारों पर आवेदन किया गया है से सक्षी स्पष्ट रूप से संक्षेप में सिखे जाएं । यदि आवश्यक हो तो इसके लिए अलगकागज का प्रतीग करें)

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 1983

No. 7-1|83|CCH.—In exercise of the powers conferred by clauses (m), (n) and (o) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the

previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1983.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires:—
 - (a) 'Act' means the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973).
 - (b) 'Form' means a form appended to these regulations;
 - (c) 'Registered practitioner' means a person whose name is for the time being duly registered in the Central Council of Homoeopathy;
 - (d) 'Register' means the Central Register of Homocopathy maintained by the Central Council under sub-section (1) of Section 21 of the Act;
 - (e) 'Registrar' means the Registrar of the Central Council appointed under clause (a) of Section 11 of the Act.
- 3. Register.—The Register shall be maintained in such form as is provided in the Appendix annexed to these regulations.
- 4. Direct registration in the Register.—(1) Any Registered practitioner desirous of having his name entered in the Register under section 23 of the Act may, apply to the Registrar in Form A and the Registrar shall, before entering such practitioner's name in the Register, verify the antecedents of such practitioner from the Board where such practitioner had his name entered earlier.
- (2) Every application in Form A shall be accompanied by:—-
 - (i) the documents mentioned in paragraphs I and II of Form A.
 - (ii) a fee of Rs. 25 by a crossed postal order or bank draft in the name of the Central Council of Homoeopathy, and
 - (iii) a recent passport size photograph of the applicant duly attested by a Gazetted Officer or an officer authorised in this behalf by the Board under whose jurisdiction the applicant resides or the principal of a recognised Homoeopathic Medical College or a member of the Legislative Assembly of the State within whose jurisdiction the applicant resides or a Member of Parliament.
- 5. Registration of Additional qualification.—Any Registered practitioner obtaining an additional title, diploma or other qualification, may apply to the Registrar specifying the particulars as given in Form 'B' for registration of the additional qualification.
- 6. Alteration of names in the Register.—(1) No entry is in respect of alteration of the name of a

- Registered Practitioner shall be made in the Register unless the application is accompanied by:—
 - (a) a notification in the Official Gazette relating to such alteration of name, or
 - (b) an affidavit regarding such alteration of name affirmed and authenticated before a Judicial Magistrate of the First Class or Metropolitan Magistrate, in original.
- (2) The Registrar shall return the original documents when no longer required.
- (3) When the name of any Registered Practitioner is altered in the above circumstances, the certificate of Registration in Form 'C' shall stand amended accordingly and if such certificate is produced by the Registered practitioner, the certificate shall be duly amended by the Registrar under his hand and seal.
- 7. Notification about change of place of residence or practice.—It shall be the duty of the every Registered practitioner who changes his address of residence or practice to intimate the Central Council and the Board concerned within 90 days of such change.
- 8. Certificate of Registration.—The certificate of registration in the Register of Homoeopathy shall be as given in Form 'C'.
 - 9. Renewal, revision and publication of register.-
- (1) After every eight years from the first publication of the Register in the Official Gazette, the Registar shall cause a general notice in Form 'D' to be published in the Official Gazette and in three newspapers having the widest circulation in the country and on such dates as the Registrar may, with the approval of the President of the Central Council decide, calling upon all Registered practitioners to apply to the Registrar without payment of any fee and within the specified period, for continuation of their names in the Register.
- (2) The Registrar by general notice under subregulation (1), send individual notices in Form 'E' under certificate of posting enclosing Form 'E' to every Registered Practitioner at his address as entered in the Register calling upon him to return the application in Form 'F' to the Registrar duly filled in for the continuance of his name in the Register within the period mentioned in such individual notice.
- (3) On the expiry of the period specified in the individual notice, the Registrar may delete from the Register the names of such of the Registered practitioner from whom no duly completed Form 'F' has been received within the time specified.
- (4) The Registrar shall publish such of the names which have been removed from the Register, in the Official Gazette and copies thereof shall be displayed on the Notice Board of the office of the Central Council for a period of 90 days from the date of such removal.
- (5) The Registrar shall send by registered post an intimation of removal of the name from the Register to each of the Registered practitioners whose names have been removed. On such removal of his name from the Register, the certificate of registration of a Registered practitioner shall be deemed to have been cancelled:

Provided that a Registered practitioner whose name had been removed from the Register may, at any time thereafter, send an application in Form 'F' to the Registrar alongwith a fee of Rs. 25 by crossed postal order or bank draft in the name of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi and on the receipt of which the Registrar shall restore his name in the Register and such restoration of name in the Register shall be deemed to have the effect of restoring the Registered practitioner's name in the certificate of registration.

10. Appeal.—(i) Any Registered practitioner whose name has been removed from a State Register of Homoeopathy on any ground other than that he

is not possessed on requisite medical qualifications or where any application by the said practitioner for restoration of his name to the state Register of Homoeopathy has been rejected may file an appeal to the Central Government in Form 'G' for restoration of his name in the State Register.

(ii) Every appeal in Form 'G' shall be accompanied by a fee of Rs. 25 by α crossed postal order or a bank draft in the name of the Central Council of Homocopathy, New Delhi.

Dr. P. L. VERMA, Registrar. Central Council of Homoeopathy New Delhi.

APPENDIX (Part I) [See regulation 3]

No.	Namo	Husband's	Dato of birth (Christlan era)	Address (a) Residential (b) Professional	Qualifications: (a) Genera (b) Medica	•	Name of the insti- tution from which re- gistrable qualifica- tions were obtained	State in which registered and the authority grant- ing the state regis- tration	Date of registra- tion in State Register
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ration r given in te Register	Registration num- ber in the Central Register	Date of Registion in the Cotral Register	en- qualifi date o and na author	onal medical cations with f obtaining me of ity granting alification	-	Date and son(s) for from the C	removal Central	Remarks
1	1	12	13		14	15	16		17
				(Pa	ENDIX art II) ulation 3]				
Serial No.	Name	Father's/ Husband's name	Date of s (Christia era)	[See reg	rt II) ulation 3] ss idential	Qualifications: (a) General (b) Medical	Dates on with o qualific were obtain	cations re ined th	anting the ite registra-
	Name 2	Husband'	s (Christia	[See reg	rt II) ulation 3] ss idential fossional	(a) General	the qualific were obtain	cations re ined th gr st	gistored and e authority anting the ate registra-
No.	2 f Rogistra- the State	Husband'i name	s (Christia era)	(Pr [See reg birth Addre n (a) Rec (b) Pro	rt II) ulation 3] ss idential ifessional fregistra- the Central	(a) General (b) Medical	the qualific were obtain	cations reined the grant state of the grant state o	gistered and e authority anting the ate registra- on

FORM A

[See regulation 4]

Form of application for direct registration under Section 23 of the Homocopathy Central Council Act, 1973

To,

The Registrar,

Central Council of Homoeopathy,

New Delhi.

Deal Sir,

I hereby request that my name and other particulars as mentioned below may be entered in the Central Register of Homocopathy as required under Section 23 of the Homocopathy Central Council Act, 1973.

I. (1) Full Name

(in block letters beginning with surname)

- (2) Maiden name if the applicant is a married woman and surname (in block letters beginning with surname)
- (3) Nationality
- (4) Residential address
- (5) Professional address
- (6) Date of Birth (Christian Era)
- (a) Qualifications for registration possessed by the applicant.
 - (b) Date on which the applicant obtained the qualification.
 - (c) Authority which conferred or granted the qualifications.
 - (d) The place where the applicant received training for such qualifications and the period of such training.
 - (c) The name of the Council/Board where he had registered earlier, if any.

II. I forward herewith:

- My Birth Certificate/Matriculation Certificate/Secondary School Leaving Certificate/School Leaving Certificate in original.
- (2) Diploma/Degree certificate in original in respect of the qualifications possessed by me together with two attested copies thereof.

III. The originals may kindly be returned to me after verification by you.

IV. Registration fee of Rs. 25 (Rupees twenty five only) is remitted by postal order No. Place Bank Draft.....

V. I certify that the particulars furnished above are true to the best of my knowledge and belief.

Yours faithfully,

Signature of the applicant.

Date:

Place:

FORM B

[See regulation 5]

Form of application for registration of additional qualification.

To,

The Registrar,

The Central Council of Homocopathy,

New Delhi.

Deal Sir,

- (1) Full name (in block letters beginning with surname)
 - (2) Maiden name, if the applicant is a married woman and surname (in block letters beginning with surname).
 - (3) Nationality
 - (4) Residential address
 - (5) Professional address
 - (6) Date of Birth (Christian Era)
 - (7) Additional qualifications sought to be entered in the register.
 - (a) The authority which conferred or granted the additional qualification.
 - (b) The date on which the qualification was conferred/granted.
 - (c) Details of training leading to conferment of the additional qualification, including the period of such training.
 - (8) Number and date of registration in the Central Register.
 - (9) Number and date of registration in the State Register.

179 G.I./83-2

I forward herewith: II.

- (i) the additional Title|Diploma|other qualification (in original).
- (ii) two attested copies thereof, attested by one of the persons referred to in clause (iii) of sub-regulation (2) of regulation 4 of the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1981.
- (iii) a fee of Rs. 10 (Rupees ten only) by crossed Postal Order Bank Draft in the name of—"The Central Council Homoeopathy, New Delhi".
- III. The originals may kindly be returned to me after verification by you.

Your faithfully,

Signature of the applicant.

Date:

Place:

FORM C

[See regulations 6(3) and 8]

Certification of Registration

Central Council of Homoeopathy

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

Similia Similibus Curentur

Certificate No.

Seal.

This is to certify thatbeen duly registered in Part-Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973).

In witness thereof are herewith affixed the Seal of the Central Council of Homoeopathy, and the signature of the Registrar.

This certificate is valid unless the name of the practitioner is removed from the Register as per the provisions of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973).

Signature of the Registrar.

FORM D

[See regulation 9(1)]

Form of General Notice

General Notice is hereby given to all the Registered Practitioners included in Parts I and II of the Central Register of Homoeopathy maintained under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 that they have to make an application to the Registrar for continuance of their names on the said Register as provided in regulation 9(1) of the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1981, framed under the said Act.

Individual notices alongwith the prescribed form of application are being sent under certificate of posting to every such Registered Practitioner to the address entered in the said Register. An application in Form F for continuation of the name in the Register should be returned to the undersigned duly completed within 30 days of the issue of this notice. Any Registered Practitioner not receiving the Form by post may obtain it from the office of the Registrar.

Registrar,

Central Council of Homocopathy.

Dated:

Place: New Delhi.

Under Certificate of Posting

FORM E

[See regulation 9(2)]

Central Council of Homoeopathy

Notice to Registered Practitioners for continuation of their names in the Central Register

To, Dr.———

Subject: Individual Notice for continuation of name in the Central Register.

Sir,

Notice is hereby given to you calling upon you to return to the Registrar within thirty days hereof the enclosed application Form (Form F) duly filled in by you for continuance of your name in the Central Register of Homoeopathy.

> Yours faithfully, Registrar,

Central Council of Homoeopathy.

FORM I	F
--------	---

[See regulation 9 (2) and (3)]

Application for the continuation of name in the Central Register

Dated

To,

The Registrar, Central Council of Homoeopathy, New Delhi.

Sub: Continuation of name in the Register. Sir,

I request that my name may be continued in the Central Register maintained by the Central Council in Part.....

- 2. My particulars are submitted as under :-
 - (i) Full name (in block letters beginning with surname).
 - (ii) Maiden name in full in case of an unmarried woman (in block letters beginning with surname).
 - (iii) Registration No.
 - (iv) Date upto which it is renewed.
 - (v) Qualification possessed at the time of initial registration.
 - (vi) Permanent address for correspondence.
- 3.* A restoration fee of Rs. 25 (Rupees twenty five only) is enclosed by way of crossed Posta! Order! Bank Draft in the name of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi.

Yours faithfully,

Signature

Full Name

Dated:

*Strike out if not applicable.

FORM-G

[See regulation 10]

Appeal for restoration of name in the Register*

To

The Secretary, to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

holding qualification	ofdo	solemnly

(state the qualification)

declare that the following are the *facts of my case on which I seek restoration of my name in the Register:

- 3. My name was duly registered in the Central Register of Homoeopathy on......having registration No.....
- 5. Since the removal of my name from the Register I have been residing at......and my occupation has been.....
- 6. It is my request that my name be restored in the Register of......State.
 - 7. The grounds, for the present, of application are:

(i)

(ii)

(iii)

- I request that orders may be passed for restoration of my name in the State Register of.....(State).

Signed.	• •	-	•	-	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠
O n,,						•	•														

Declared at		٠.
before me	, ,	

Judicial/Executive Magistrate,
Commissioner of Oaths.

*(Instructions: All facts and the grounds on which the application is made should be clearly and concisely stated. Use separate sheets if necessary).